



OFFICE OF THE ACCOUNTANT
GENERAL (A&E), PUNJAB & UT,
SECTOR-17E,
CHANDIGARH - 160017.

No. प्रशा.1 / ले व ह/पेन/21-22/3568-71


Dated:- 03.02.2022

विषय: Central Civil Services (Pension) Rules, 2021-reg.

संदर्भ: 02-स्टाफ हकदारी (नियम)/ए.आर/09-2019 दिनांक 07.01.2022.

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा प्रेषित उपरोक्त संदर्भित पत्र की प्रति निम्न को आवश्यक सूचना हेतु प्रेषित की जाती है।

1. सूचना एवं प्रौद्योगिकी कक्ष को कार्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
2. वर्क्स प्रशासन अनुभाग ।
3. भुगतान एवं लेखा अनुभाग ।
4. प्रशासन UT अनुभाग ।


वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशासन) 03/02/22

Email

3462

agaepunjab

[Cag-all-offices] Central Civil Services (Pension) Rules, 2021-reg.

From : MANOJ KUMAR <saoaudit-r@cag.gov.in>

Fri, Jan 07, 2022 02:59 PM

Subject : [Cag-all-offices] Central Civil Services (Pension) Rules, 2021-reg.

1 attachment

To : CAG-ALL-OFFICES <CAG-ALL-OFFICES@lsmgr.nic.in>

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का कार्यालय,
पॉकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली - 110 124

संख्या:02-स्टाफ हकदारी (नियम)/ए.आर/ 09-2019

दिनांक:-07.01.2021

प्रति

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग
के सभी कार्यालय।

विषय : Central Civil Services (Pension) Rules, 2021-reg.

महोदय/ महोदया,

उपर्युक्त विषय पर कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली के अधिसूचना सा.का.नि. 868 (अ) दिनांक 20.12.2021 को इस ई-मेल के साथ संलग्न किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय कृपया इस अधिसूचना को आवश्यक कार्रवाई हेतु इस ई-मेल के संलग्नक से डाउनलोड कर लें। इन्हें संबंधित मंत्रालय की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं।

Department of Pension and Pensioners' Welfare, Ministry of Personnel & Public Grievances, Government of India Notification G.S.R. 868 (E) dated 20.12.2021 on the subject cited above has been attached with this E-mail.

The field offices may download the Notification attached with this E-mail for further necessary action. The Notification can also be downloaded from the website of the concerned Ministry.

संलग्नक: यथोपरि ।

भवदीय

हस्ता/-

(मनोज कुमार)

वरि. प्रशासनिक अधिकारी/ स्टाफ-हक. (नियम)